REET 2025
L - 1 & 2
ROJGAR
ANKIT
Chapter-07
बाल
कल्याणकारी
योजनाएं
CDP
Theory + MCQs
REET में नया Topic
LIVE
23-12-2024
12:00PM

राजस्थान की समसामायिक योजनाएँ

12 बजे

Practice

REET 2025
LEVEL 1 & 2
CDP
का
महाकुंभ
COMPLETE CONTENT एक साथ
इसके बाद अब कुछ नहीं
LIVE
15-02-2025 10:00 AM

कन्यादान योजना राजस्थान:

-शुरूआत -2015

पूर्व नाम- सहयोग एवं उपहार योजना

BPL.

लाभार्थी - SC/ST/ अल्पसंख्यक वर्ग में बी.पी. एल. परिवारइस योजना के तहत् पात्र परिवारों को शादी से जुडे खर्चों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है,

शर्तें:-

. दुल्हन का परिवार राजस्थान का निवासी होना चाहिए।

2. दुल्हन की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।

3. परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।

4. परिवार के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं होना चाहिए।

5. दुल्हन ने 10वीं की कक्षा पास होनी चाहिए।

सहायता राशि - 18 वर्ष से अधिक आयु की पुत्री के विवाह पर 31,000/- की राशि दी जाती है।अन्य वर्ग - बी.पी.एल, विधवा, आस्थाकार्ड धारक, महिला खिलाड़ी को स्वयं की शादी तथा अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी के लिए-21,000 रू की आर्थिक सहायता दी जाती है-नोट- यदि लकड़ी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण - 10,000 रू. तथा स्नातक उत्तीर्ण- 20,000 रू. की राशि अतिरिक्त दी जाती है।

कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना:-

इस योजना का उद्देश्य छात्राओं को उच्च अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना।

Grad.

RBSE => 65%

CBSE = 75%

संचालन- उच्च शिक्षा विभाग द्वारालाभार्थी-

इस योजना में GEN/OBC/EWS/SC/ST अल्पसंख्यक छात्रा शामिल है।पात्रता-RBSE बोर्ड से 12वीं कक्षा में 65 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं- CBSE बोर्ड से 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएँछात्रा के परिवार की आय 2.50 लाख से कम होनी चाहिए।नोट:- बजट 2023-24 में स्कूटी की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई।

राजस्थान की लाडो प्रोत्साहन योजना:-

प्रारम्भ:- 1 अगस्त, 2024

नोडल विभाग- महिला एवं बाल विकास विभाग

उद्देश्य –

1. बालिकाओं को समुचित शिक्षा देना और आत्मनिर्भर बनाना।
2. बालिकाओं के प्रति समाज में नकारात्मक सोच को समाप्त करना।

पात्रता-

1. बालिका का जन्म सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना के लिए स्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में होना चाहिए।
2. बालिका की माँ राजस्थान की मूल निवासी हो

नोट:-यह योजना पूर्व में संचालित राजश्री योजना का संशोधित रूप है।

3. राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में जोड़ दिया गया है जहाँ पहले राजश्री योजना के तहत बालिकाओं को 50,000 रूपये की राशि दी जाती थी वही अब लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रूपये की राशि दी जाती है।

लाडो प्रोत्साहन योजना" राजस्थान में कब प्रारंभ की गई?

A) 15 अगस्त 2024

B) 1 जुलाई 2024

C) 1 अगस्त 2024

D) 2 अक्टूबर 2024

लाडो प्रोत्साहन योजना" किस पूर्ववर्ती योजना का संशोधित रूप है?

A) मुख्यमंत्री बालिका सुरक्षा योजना
B) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
C) राजश्री योजना
D) सुकन्या समृद्धि योजना
E) Unattempted

लाडो प्रोत्साहन योजना" के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है?

A) 25,000 रुपये

B) 50,000 रुपये

C) 75,000 रुपये

D) 1,00,000 रुपये ✓

E) Unattempted

पन्नाधाय बाल गोपाल योजनाः-

प्रारम्भ : 4 सितम्बर 2024

पुराना नाम - मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजनावर्तमान नाम – पन्नाधाय बाल गोपाल योजना

उद्देश्य - सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मिल योजना केअन्तर्गत पोषण की सामग्री, उपलब्ध करवाना।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना का नाम बदलकर पन्नाधाय बागोपाल योजना कर दिया गया।

जिसकी शुरूआत 29 नवंबर 2022 को की गई थी।इस योजना के तहत सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता थ

उड़ान योजना:

-प्रारम्भ- 19 नवम्बर 2021
संचालन - महिला अधिकारिता विभागपात्र - 15 से 45 वर्ष की महिलाएँवितरण राजस्थान स्वास्थ्य सेवाएँ कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMSCL) की ओर से वितरण केन्द्रों तथा विद्यालयों में सैनेटरी नैपकीन उपलब्ध करवायेगा।शिकायत के लिए नम्बर – 181

इस योजना के लिए राज्य स्तर पर दो तथा जिला स्तर पर एक ब्रांड एबेसडर नियुक्त।

उड़ान योजना" का लाभ किस आयु वर्ग की महिलाओं को मिलता है?

A) 10-30 वर्ष

B) 15-45 वर्ष

C) 18-50 वर्ष

D) 12-40 वर्ष

E) unAnswered

मुख्यमंत्री बालिका संबंल योजना:-

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की वित्तीय स्वीकृति दी है।

राजस्थान सरकार द्वारा 9 मार्च, 2024 को 'मुख्यमंत्री बालिका संबल ' के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि की मंजूरी दी गई।

इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10 हजार रूपये से बढ़ाकर 30 हजार रूपये कर दिया गया है।
इस योजना के तहत पहली व दूसरी बालिका के जन्म पर और उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में यह राशि दी जायेगी।

पालनहार योजना

प्रारम्भ – 2005

योजना में शामिल - ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु (दोनों या दोनों में से एक) / आजीवन कारावास/कुष्ठ रोग / HIV से संक्रमित /दिव्यांग / परित्यक्ता/ तलाकशुदा महिला के बच्चे शामिल है।सभी जातियों के लिए यह योजना है।

उद्देश्य - अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देना।लाभान्वित वर्ग - सभी वर्गइस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दी जायेगी। 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को रू 500 प्रतिमाह ।विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को रू 1000 प्रतिमाह ।

पालनहार योजना (Palanhar Yojana):

- **लॉन्च**: 2005
- **उद्देश्य**: अनाथ और वंचित बच्चों को पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता।
- **लाभ**:
- 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए ₹500 प्रति माह।
- 6-18 वर्ष के बच्चों के लिए ₹1000 प्रति माह।
- **लक्ष्य समूह**: अनाथ, तलाकशुदा माताओं के बच्चे, HIV/AIDS पीड़ित बच्चे।

पन्नाधाय बाल गोपाल योजना (Pannadhay Bal Gopal Yojana)

शुरुआत: 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई।

उद्देश्य:

- आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना।
- बाल विकास और कुपोषण को कम करने के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करना।
- समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास को बढ़ावा देना।
- लाभार्थी:आंगनवाड़ी केंद्रों में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे।

•गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएँ।लाभ:बच्चों को पौष्टिक भोजन (दूध, अंडे, दलिया, फल, आदि) दिया जाता है।

•प्री-स्कूल शिक्षा के लिए गतिविधियाँ कराई जाती हैं।स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

पोषण सहायता:

•बच्चों को प्रतिदिन 200 मिलीलीटर दूध दिया जाता है।

•पोषण स्तर सुधारने के लिए अतिरिक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना (Mukhyamantri Balika Sambal Yojana)

शुरुआत:

राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत **2012-13** में की गई थी।

मुख्य विशेषताएँ:

1.लाभार्थी:

1. राजस्थान के गरीबी रेखा (BPL) से नीचे रहने वाले परिवारों की बेटियाँ।
2. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की बालिकाएँ।

2.लाभ:

1. कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाली बालिकाओं को आर्थिक सहायता।
2. उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और अन्य प्रोत्साहन।
3. शिक्षा छोड़ने की दर (Drop-out Rate) को कम करना।

3. विशेष प्रोत्साहन:

•मेधावी छात्राओं को **स्कूटी, किताबें, और स्टेशनरी** का वितरण।

•विशेष पिछड़े वर्गों की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए विशेष सहायता।

मां वाउचर योजना (Maa Voucher Yojana) - राजस्थान

शुरुआत:

राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना **गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं** के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने के लिए लागू की गई है।

मुख्य विशेषताएँ:

1.लाभार्थी:

1. गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ।
2. राजस्थान की गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाएँ।

2.वाउचर सुविधा:

1. गर्भवती महिलाओं को **पोषण संबंधी खाद्य पदार्थों** और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वाउचर दिए जाते हैं।
2. सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में वाउचर को भुनाया जा सकता है।

3.पोषण सहायता:

1. आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का वितरण।
2. नवजात शिशुओं को आवश्यक टीके और पोषण संबंधी देखभाल।